न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया।

CNR-UPAU 040025732021

<u>दिनांक 08.06.2021</u>

मुकदमा अपराध संख्या 131/2021, धारा 419,420,467,468, 471,272 भा0दं0सं0, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना दिबियापुर जिला औरैया के मामले में अभियुक्त रघुनाथ निषाद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 02.06.2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त का कथन है कि उक्त अभियोग में उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके कब्जे से कोई नाजायज अपमिश्रित शराब व नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुयी है। उक्त अभियोग में कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मंगाये जाने हेतु समय की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत अभियोग में अभियुक्त पर धोखाधड़ी करने व अपमिश्रित शराब दीवना ब्राण्ड व अन्य सामान बरामद होने का आक्षेप है। अपराध अजमानतीय एवं मान्नीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रघुनाथ निषाद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
औरैया।